

उ318 एस.सी.एस.पी.
संख्या- / 111-2/06-09(प्र.आ.)/06 टी.सी.।

File No. 120

Page No. 294

Serial No. 294

Back Register

प्रमाणित किया जाता है-

प्रमाणित किया जाता है-

प्रमाणित किया जाता है-

देहरादून, दिनांक 12 दिसम्बर, 2006

2006-07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) के

कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय

ए.एस.एस.पी. के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा

नये स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत 30 (तीस) नये कार्यों के रूप में

की लागत के आगणन कर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 3553.

वैधता के अभाव में तुरन्त ही खिचालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख

विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक

के लिए सम्मुख सम्मुख 06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु 15.00 लाख (पन्द्रह लाख

की) की अंतिम वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों

पर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत

करना आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निर्माण

कार्य के अभाव में कार्य स्थल भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम दरियता के आधार पर किया

जाय एवं वन की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक

स्वीकृति प्राप्त करने होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उक्त हो व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय

न किया जाय।

एकमुक्ता प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी

स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य करने से पूर्व सनस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण

विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय प्रालन करना

आवश्यक है।

कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य

करना होगा, स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया

जाय।

कार्य में जिन मदों हेतु नौ राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का

व्यय दूसरी मद में न किया जाय।

कार्य स्थलों को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त

कार्य करने के लिए आवश्यक है।

प्रमाणित

Photocopy
Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता प्रमाणित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

यहां जनपदवार आवंटित प्लान आउटले के विपरित अनुमोदित योजनाओं पर ही किया जायेगा।

यदि उक्त कार्य न हो किस्ती कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय या कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इन शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

ध्यान करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तानुत्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी नियमों के अन्तर्गत शासनादेश अथवा अन्य सदन अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तब ही कार्य करने के लिये प्रत्येक कार्य के अनुमोदन/पुनरीक्षित अनुमोदन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ आगामी/पुनरीक्षित अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जायेगी धनराशि का अनुमोदन 31-03-2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करते समय टेंडर विवरण नियमों का अनुपालन किया जाय।

आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में तत्तक कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पंजीकृत प्रकल्प-02 तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्थल कम्पानेंट तान-02 नया निर्माण कार्य-24 बहुक निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-1925/XXVII/(2)/06 दिनांक 07/08/2006 में प्रकाशित उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

संलग्नक-30 कार्यों की सूची।

सहायक,
उत्तरांचल
(सद - सिंह रावत)
एन.टी.डी.

संख्या- (1)/III-2/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेख: इथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लोनिवि, अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
क्र. 40 लो.नि.वि.
उत्तरांचल

mw
AE

उत्तरकाशी के गरी में दोपहरी से सड़का मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	25.42	25.42	0.50
उत्तरकाशी में कलागी से बजलाडी तक उत्तरकाशी मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा विस्तार	5.00	108.25	108.25	0.50
उत्तरकाशी में देहली यमनोत्री मोटर मार्ग के बंदी खड्ड से बंदी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	172.50	132.00	0.50
उत्तरकाशी में देहली यमनोत्री मोटर मार्ग के बिल्ला से जरदा-छुडी तैडा होते हुए नरयूका तक नया निर्माण	15.00	431.25	330.00	0.50
उत्तरकाशी में जरदा खड्ड से छमरोटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	332.50	292.00	0.50
उत्तरकाशी में जाला (बड़कोट) से जंघाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण	11.00	258.86	258.86	0.50
उत्तरकाशी के नौगांव में गंडाली से कांडा मोटर मार्ग का निर्माण	5.50	148.90	148.90	0.50
उत्तरकाशी के नौगांव में गंडाली से जंघाडी मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	59.87	59.83	0.50
उत्तरकाशी में जमटा कांडा दियाडी 80410 मार्ग से सेतवाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण अवशेष कार्य	-	61.95	57.95	0.50
उत्तरकाशी के चिन्वालीसोड में बडेथी-बनघोरा-बडीगाड मोटर मार्ग से धारकोट मोटर मार्ग का नया निर्माण	4.00	101.00	101.00	0.50
उत्तरकाशी के चिन्वालीसोड में नौगांधी छोटा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	-	101.11	101.00	0.50
उत्तरकाशी में डाण्डगांव माजफ नौगांधी मार्ग का विस्तार	4.00	113.62	113.00	0.50
उत्तरकाशी में नालुपानी-पटारा-डांग-स्यालना मोटर मार्ग के अन्तर्गत स्यालना से डांग तक का विस्तार एवं सुधार कार्य	6.00	116.40	116.40	0.50
उत्तरकाशी में स्यालना-काण्डी-मेलगाड मोटर मार्ग का नया निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.50
कुल योग		3848.55	3553.46	15.00

(रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

प्रदीप सिंह रावल

(प्रदीप सिंह रावल)

उप सचिव

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून-248 001

दिनांक 16.12.08

प्रतिनिधि:- निम्न के आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य अभियन्ता गठवाना मैरु लीमिटेड को चिन्वालीसोड से बडेथी-बनघोरा-बडीगाड मोटर मार्ग के अन्तर्गत स्यालना से डांग तक का विस्तार एवं सुधार कार्य
2. प्राधिकृत/लिखा कार्य
3. लान्ड ग्राइ प्रभाव

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून-248 001

अधीक्षक अभियन्ता
उत्तरांचल

रुफा नं. 3625 मार्ग / 120 ती. 06/08/18 दि. 8-1-2008
जरीकोटि: काधेश्वरी काकिता अ/रि संड लीमिटेड उत्तरकाशी
शेराडी/पुरोता/उत्तरकाशी तथा शेरिन नामिका के नजद
की/प्राधिकृत कार्य/याता दित/का की प्रस्ताविका के अधिकांक
आवनादी हेतु प्रेषित

सहायक अभियन्ता
प्रान्त स्तर